

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की- भजनलाल

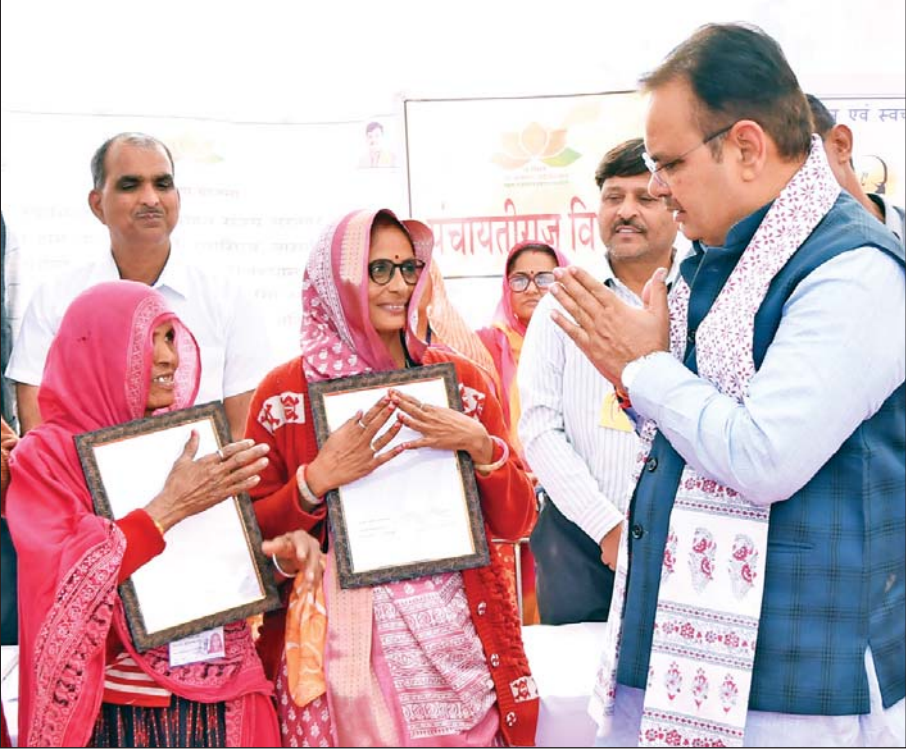
मुख्यमंत्री भजनलाल ने आहोर में जालोर जिले के 338 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया।

जालोर/जयपुर, 17 दिसम्बर। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद करते हुए भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 200 कामों को अनुशासनहीनता सहित, विभिन्न प्रकरणों में निलंबित किया गया है तथा 34 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है।

शर्मा बुधवार को आहोर (जालोर) में ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण व शहरी समस्या समाधान शिविर में लोकतंत्र सैनानियों से मुलाकात की व दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। उन्होंने लाभार्थियों को पट्टे विलेख, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना सहित विभिन्न योजनाओं के चैक वितरित किए।

शिविर तथा जालोर जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज जालोर में 338 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख 18



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को आहोर में जालोर जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र व चेक वितरित किए।

हजार किसानों के खेतों में 10 हजार 432 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे भेजी गई है।

आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा जालोर और आहोर विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास

कार्यों को रेखांकित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सैनानियों से मुलाकात और दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। उन्होंने ग्रामीण और शहरी शिविरों का अवलोकन किया और लाभार्थियों को पट्टे विलेख, गोपाल क्रेडिट योजना सहित, विभिन्न योजनाओं के चेक वितरित किए।

कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, विधायक जीवाराम चौधरी सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

‘भारत का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और पार्टी की विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी।

यह पांच दिवसीय दौरा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान

घोषित किया गया था, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने इसकी व्यापक आलोचना की थी। उनका आरोप है कि राहुल गांधी की बार-बार की विदेश यात्राएं कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके समर्पण पर सवाल उठाती हैं।

‘हम सैवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रैली में यह बात कही, “सैवन सिस्टर्स भारत से अलग कर दी जाएगी।” यह रैली उन लोगों के खिलाफ आयोजित की गई थी, जो एक अन्य छात्र नेता, उस्मान हादी के हमले में शामिल थे, और यह दावा किया जा रहा था कि आरोपियों को भारत से समर्थन मिल रहा है। अब्दुल्ला द्वारा की गई यह उत्तेजक टिप्पणी उस समय आई,

एच वन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

10,400 से ज्यादा कर्मचारियों की थीं, पर 1,00,000 डॉलर की फीस लगती, जिसमें वीजा शुल्क के रूप में कुल रकम एक अरब डॉलर से भी अधिक हो गई होती।

टाटा को इस अवधि में 6,500 कर्मचारियों के लिए फीस देनी पड़ती, जो नए स्वीकृत एच-1 बी कर्मचारियों का 82 प्रतिशत है। वहीं कॉन्ग्रेट को 5,600 से अधिक कर्मचारियों, यानी 89 प्रतिशत नई एच-1 बी नियुक्तियों के लिए यह शुल्क चुकाना पड़ता। पहले ही कानूनी चुनौतियों के जरिए इस शुल्क को जल्दी रोक दिया जाए, लेकिन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वीजा की मांग में भारी गिरावट आएगी और अधिक कर्मचारियों को विदेशों में ही तैनात किया जाएगा।

इमिग्रेशन वकील जोनाथन वासडेन, जो कई आईटी नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा, हम पहले से ही ऐसा होते देख रहे हैं। डर यह है कि अगर विदेशों में वास्त्व में असाधारण प्रतिभा हैं, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से अवसर से वंचित रह जाएंगे।

‘अरे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थरूर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव भी डाला। मनीष तिवारी भी इस समय खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी उनका उचित स्थान नहीं मिल रहा था, लेकिन उनका एसआईआर पर पहला भाषण आखिं खेलने वाला और सराहनीय प्रयास था, जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने के रूप में देखा गया।

अब तक राहुल गांधी का रुख यही था कि “अगर पार्टी छोड़नी है, तो आप यह करने के लिए स्वतंत्र हैं”, लेकिन लगता है कि हाल के समय में उनका रुख बदल गया है।

‘दिल्ली में अब बीएस-4 या उससे अधिक स्टैंडर्ड के वाहन ही चलेंगे’

दिल्ली में प्रदूषण में कटौती करने के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया

नयी दिल्ली,17 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली में केवल ऐसे वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जाएगी, जो बीएस-4 उत्सर्जन मानक या उससे ऊपर की श्रेणी के हैं।

न्यायालय के इस नए स्पष्टीकरण के बाद अब अधिकारी उन पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे, जो बीएस-चार मानकों को पूरा नहीं करते हैं। वहीं, बीएस-4 या नये वाहनों को उनकी समय सीमा पूरी होने के बावजूद चलाने की अनुमति है।

■ इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दस साल पुराने डीज़ल वाहनों व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी।

न्यायालय का यह नवीनतम आदेश, उसके गत 12 अगस्त के उस पिछले आदेश में संशोधन करता है,

जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दस साल से अधिक पुराने डीज़ल वाहनों और पंद्रह साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली की पीठ ने दिल्ली सरकार को उस याचिका पर यह स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए पुराने वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति मांगी गई थी।

उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा

देने के महत्व पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच संवाद का उद्देश्य आपसी समझ और सहयोग के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक पहलों को सशक्त करना बताया गया।

दिल्ली में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी कहा गया है कि ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के तहत काम बंद होने के कारण प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिल्ली सरकार मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये देगी। नये जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राहुल गांधी व सोनिया गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्वामी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दायर की गई एक निजी शिकायत पर आधारित था, न कि एफआईआर पर।

इसे गांधी परिवार के लिए एक तरह से “राहत” माना गया, लेकिन भाजपा के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीया ने इसे “भ्रामक हैडलाइन और दावा” करार दिया, क्योंकि इसमें “कोई राहत नहीं थी”।

मालवीया के अनुसार, अदालत ने “कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, इसलिए ईडी नए सिरे से केस को आगे बढ़ा सकता है। एफआईआर के कारण ईडी की दलीलें पीएमएलए के तहत वैध और प्रक्रियागत रूप से मान्य हो जाती हैं।”

उन्होंने कहा, “असल में, अदालत ने ईडी की चार्ज शीट पर संज्ञान लेने से

■ जैसा कि विदित ही है, न्यायालय के निर्णय के अनुसार, ईडी ने केवल एक व्यक्ति, सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर नैशनल हैरल्ड के मामले में मनी लॉण्डरिंग की जाँच शुरू कर दी थी, यह गैर कानूनी है, क्योंकि पहले एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद ही मनी लॉण्डरिंग कानून के तहत जाँच हो सकती है।

‘सबका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थानांतरण के लिए पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होगी। पहले यह सीमा एक प्रतिशत थी। सभी बीमा कंपनियों और बिचौलियों के लिए अपने नाम में “बीमा” शब्द रखना अनिवार्य होगा।



MARUTI SUZUKI

ROAD TAX? WE HAVE TAKEN CARE OF IT !

GRAND VITARA STRONG HYBRID WITH OFFERS OF UP TO ₹ 2.17 LAKH*.



GRAND VITARA
STRONG HYBRID



R17 MACHINED ALLOY WHEELS



AUTO PURIFY WITH PM2.5 DISPLAY



8-WAY DRIVER POWERED SEAT



EV MODE



6 AIRBAGS AS STANDARD

5 YEAR
WARRANTY

3 YEARS + 2 YEARS COMPLIMENTARY

BENEFITS UP TO
₹ 2.17 LAKH**





SCAN TO CONNECT TO
A SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY @
WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at
1800-200-[6392]
1800-102-[6392]

For detailed T&C kindly visit nearest dealership. Creative visualisation. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice and offers may vary across variants. Features and accessories shown may not be part of the standard fitment. *Offers applicable on Delta+, Zeta+ & Alpha+ variants. **Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on select models/variants. Finance is at the sole discretion of financier. Above offers are valid for limited period only. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper. ~This extended warranty is applicable for Zeta, Zeta+, Alpha and Alpha+ models of Grand Vitara. Offer amount is equivalent to the applicable Road Tax.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. **RAJHIN/2006/17286** जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आनंद नैर रोड आनंद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरु कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

●

●

●

●



●

●

●

●



●

●

●

●



●

●

●

●